बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 16/2012, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के अन्तर्गत सग्रहालय निदेशालय, बिहार के अधीन संग्रहालयाध्यक्ष के रिक्त 06 (छः) पदों, वेतनमान (अपुनरीक्षित) 6500–200–10500/– (पुनरीक्षित) पे बैण्ड 9300–34800 + ग्रेड पे 4600/– में नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरूष एवं महिला) से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन 06 (छः) पदों में से अनारक्षित को 02 (दो), अनुसूचित जाति को 01 (एक) (बैकलाग के रूप में), अनुसूचित जनजाति को 01 (एक) (बैकलाग के रूप में), अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 01 (एक) एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 01 (एक) पद अनुमान्य है। इन अनुमान्य पदों में से विकलांग को भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(i) आवश्यक योग्यता एवं अनुभव :– प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति/पुरातत्व/एशियाई अध्ययन/कला तथा वास्तुकला/इतिहास (प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व कला एवं वास्तुकला का ज्ञान के साथ) में एम०ए० द्वितीय श्रेणी तथा उत्खनन, संरक्षण अथवा संग्रहालय में 03 (तीन) वर्ष कार्य करने का अनुभव।

(ii) उम्र सीमा:– दिनांक 01.08.2007 को अधिकतम,
(1) अनारक्षित पुरूष – 37 वर्ष
(2) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
(3) अनारक्षित महिला – 40 वर्ष
(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार क संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगो को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक – 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(iii) चयन की प्रक्रिया :– लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर। इस हेतु कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंग। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिनमें दो पत्र होंग। लिखित परीक्षा के विषय, पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि निम्न प्रकार है

क्र० सं०	विषय	परीक्षा की अवधि	पूर्णांक
1.	**प्रथम पत्र** प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृति इतिहास (1206 ई० तक)	01 घंटा	45
2.	**द्वितीय पत्र** मूर्ति विज्ञान, अभिलेख, सिक्का तथा संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान	01 घंटा	45

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक – 6706, दिनांक – 01.10.2008 में विहित है। ऐसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारो में से ही आयोग के विनिश्चयानुसार उनके साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टि:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी०) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट **http://bpsc.bih.nic.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**
2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनु० जाति के लिये 02, अनु० जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** 'प्राप्तांक/'पूर्णांक **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. फोटोग्राफ:

आवेदन–पत्र के पृ० 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव से बना होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

3. लिफाफा:

(i) **लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं० एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।**

(ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) की स्वप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।**

(iii) **16×10 से०मी० का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिसपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

4. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं० 673, दिनांक, 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति–सह–क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति–सह–क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, आर संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

5. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75/– (पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 125/– (एक सौ पचीस) रूपये तथा अन्य के लिए 300/– (तीन सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 350/– (तीन सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।**

6. <u>अन्य</u>:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

7. <u>अंतिम तिथि</u>:

(i) भरा हुआ आवेदन केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि गुरूवार, दिनांक 29.11.2012 को 5.00 बजे अपराह्न तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना